# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्या– 59/2019आवेदन 212RTA

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ

–प्रार्थी

ब ना म

1. श्री श्याम सत्संग ट्रस्ट 16/3 एलप्पा की गली, नाडूवान कराई शांति कॉलोनी, अन्नानगर, चैन्नई।

–अप्रार्थी

## आवेदन अं0 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

1. प्रार्थी की ओर से भू0अ0नि0 श्री केशर मल
2. श्री योगेश शर्मा वकील अप्रार्थी की ओर सें।

## निर्णय

दिंनाक :– 26.09.2019

1. आवेदन का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 की एकल खातेदारी की भूमियां खसरा नम्बर 4429/4258 रकबा 0.1528 हैक्टर व खसरा नम्बर 4655/2148 रकबा 0.04 हैक्टर वाके ग्राम खटूश्यामजी पटवार हल्का खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमियां एकल खातेदारीशुदा संपदा है जिनका पक्षकार द्वारा बिना भूमि रूपांतरण करवाये अकृषि कार्यों पर उपयोग में ली जा रही है अथवा ली जाने की कोशिश में है। उक्त भूमि पर बिना सक्षम अधिकारी सें रूपांतरण करवाये भूमि को खुर्दबुर्द कर छोटे प्लाटों/धर्मशाला बनाकर उपयोग करने पर आमादा है। अनावेदकगण को विवादित भूमि पर बिना रूपांतरण करवाये किसी भी प्रकार सें खुर्दबुर्द कर मौका सूरत व राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करने तथा अन्य किसी भी प्रकार सें बेचान एवम हस्तांतरित कर उपयोगग उपभोग सें अस्थायी निषेधाज्ञा सें पाबंद फरमाया जाना सादर प्रार्थनीय है। अतः आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ़
सीकर

Scanned by CamScanner

सें पाबंद फरमाया जावे कि विवादित भूमियों को बिना रूपांतरण करवाये खुर्दबुर्द कर मौका सूरत व राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करने तथा अन्य किसी भी प्रकार सें बेचान एवम हस्तांतरित कर उपयोगग उपभोग सें बाज रहे।

2. आवेदन पेश होने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर सें वकील श्री योगेश शर्मा हाजिर आये तथा जवाब आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया गया। आवेदन पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जवाब आवेदन का अवलोकन किया गया। जवाब आवेदन में अनावेदक का कथन यह है कि उक्त भूमियों में उत्तरदाता के साथ सहखातेदार के रूप समें अन्य सहखातेदार होने के कारण आवेदन में वर्णित भूमियों का कानूनी रूप सें बंटवारा नहीं हो सका अनावेदक उक्त भूमियों पर अपने सहखातेदार के साथ मौखिक बंटवारा के अनुसार काबिज रहा है तथा ग्राम पंचायत सें अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर निर्माण किया है। वादवर्णित भूमि का सहखातेदार के साथ मौखिक बंटवारा किया गया था इसके बाद अप्रार्थी ने उक्त भूमि पर धर्मशाला का निर्माण करवाया था परन्तु पड़ौसी खातेदारों द्वारा स्थगन आदेश माननीय न्यायालय सें प्राप्त किया गया था जिससें बंटवारा नहीं हो सका। इसी कारण संपरिवर्तन नहीं हुआ। बंटवारा प्रकिया पूर्ण होते ही उत्तरदाता अपनी सम्पदा का नामांतरण करवाकर सक्षम अधिकारी के समक्ष संपरिवर्तन हेतु आवेदन पर कर देगा। अतः आवेदन 212 आरटीए खारिज होने योग्य है। जवाब आवेदन सें स्पष्ट है कि **वादग्रस्त संपदा का बंटववारा प्रकिया पूर्ण होते ही अप्रार्थी द्वारा नामांतरण करवाकर संपरिवर्तन हेतु आवेदन पेश करने हेतु आग्रह किया है चूंकि अगर स्थगन आदेश प्रभावी रहेगा तो अप्रार्थी कृषि भूमि का संपरिवर्तन नहीं करवायेगा। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। जिससें सुविधा संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धांत भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है। अतः अप्रार्थी के हित निहित को देखते हुए पूर्व में जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त करते हुए आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए खारिज किया जाता है।** पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम व मूलवाद के साथ संलग्न हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned by CamScanner